राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर

पत्रांकः 80 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2019—20 दिनांकः 14.11.2019

सेवा में, अतिआवश्यक—समयबद्ध

समस्त प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी(राष्ट्रीय सेवा योजना)
सम्बद्ध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः **सत्र—2019—20** राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा अक्टूबर 2019 तक शासन से आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष पंजीकरण शुल्क एवं अन्य प्रपत्र जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्नक शासनादेश संख्या—246 / सत्तर—रा0से0यो0को0—2019, दिनांकः13.11.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन महाविद्यालयों को सत्र—2019—20 में माह अक्टूबर तक राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत इकाई संचालित किये जाने हेतु छात्र संख्या आवंटित गयी है उनके द्वारा यदि अभी तक पंजीकरण शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र जमा नहीं किया गया है और शिथिलता बरती जा रही है उनकी सूची अबिलम्ब ई—मेल के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे कार्यहित में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या— आवं.—02 / सत्तर—रा0से0यो0को0 — 19—21 / 2017, दिनांकः 19 जुलाई, 2019 के द्वारा जिन 334 महाविद्यालयों को शासन द्वारा सत्र—2019—20 में छात्र संख्या (इकाई) आवंटित की गयी थी उन्हें दिनांकः 30.09.2019 तक तथा शासनादेश संख्या— आवं.—21 / सत्तर—रा0से0यो0को0—19—21 / 2017, दिनांकः 23 सितम्बर, 2019 जिन 40 महाविद्यालयों को छात्र संख्या आवंटित की गयी थी उन्हे दिनांकः 21.10.2019 तक इकाई गठन संबंधी समस्त प्रपत्र यथा—पंजीकरण शुल्क बैंक ड्राफ्ट, सामान्य एवं विशेष शिविर में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेवको की सूची, पंजीकरण फार्म इत्यादि विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया था।

पुनः आपको सूचित किया जाता है कि जिन महाविद्यालय की इकाईयों द्वारा उक्त इकाई गठन संबंधी प्रपत्र एवं पंजीकरण शुल्क अभी तक विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा नहीं किया गया है वे दिनांकः 20.11.2019 तक अवश्य जमा कर दें अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आप इकाई संचालन के इच्छुक नहीं है और उसकी सूचना शासनादेश के अनुपालन में शासन को अन्य संस्थाओं को छात्र संख्या आवंटित किये जाने हेतु सूचित कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। दिनांकः 20.11.2019 के बाद किसी भी दशा में इकाई गठन संबंधी कोई भी प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

शासन से हुई वार्तानुसार सत्र—2018—18 एवं 2019—20 की सामान्य एवं विशेष शिविर का अनुदान नवम्बर माह के अन्तिम सप्ताह या दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में अवमुक्त किये जाने की सम्भावना है। अतः आपको यह भी सूचित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा विगत सत्र—2017—18 तक प्राप्त अनुदान की सम्परीक्षा नहीं करायीं गयी है वे प्राप्त अनुदान की सम्परीक्षा विश्वविद्यालय वित्त विभाग से सम्पर्क कर अवश्य करा लें। भारत सरकार के मंशानुसार बिना विगत सत्र में अवमुक्त अनुदान की सम्परीक्षा कराये एवं सामान्य एवं विशेष शिविर संचालन हेतु अनुदान आहरण संबंधी अलग—अलग खातों का संचालन किये सत्र—2019—20 का अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त का विशेष संज्ञान लेते हुए समायान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलपति जी, निजी सचिव माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0—01, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा(रा0से0यो0को0)विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. वित्तअधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाईट को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक